न्यायालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

प्रा0पत्र संख्या– 31 / 23 तारीख रज्जू–12 / 09 / 23

1 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) गंगापुर सिटी। ––– प्रार्थी

बनाम

1. नानगा पुत्र लहोडया जाति चमार निवासी सलौना तहसील गंगापुर सिटी। – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 20.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 के नानगा पुत्र लहोडया को ग्राम खूटला सलौना में स्थित भूमि ख0नं0 200 कुल रकबा 25 बीघा में से 5 बीघा भूमि के किये गये अवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। प्रार्थी की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस मे निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 ग्राम खुटला सलौना का खसरा नम्बर 200 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा चरागाह में दर्ज था तथा नामान्तकरण सं0 151 दिनांक 08.11.2075 से खसरा नम्बर 200 रकबा 31 बीघा 1 विस्वा में से 25 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज हुई। उक्त खसरा नम्बर 200 कुल रकबा 25 बीघा में से 5 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 को आवंटन हुई। जिसका अमल जरिये नामान्तकरण सं0 167 दिनांक 14.11.2075 से गैर खातेदार दर्ज हुआ। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू0प्रबन्ध सं0 2039 से गत खसरा नम्बर 200 मि0 से हाल खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 है0 बने तथा भूप्रबन्ध खतौनी सम्वत् 2039 के खाता सं0 338 पर अंकित खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 है0 किस्म बंजड नानगा पुत्र लहोडया जाति चमार सा0देह गैर खातेदार के नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थी द्वारा मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2042 से 2076 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर कोई काश्त नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त न कर आवंटन शर्तो का उल्लधंन किया है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जिस आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक का अंकन प्रार्थना पत्र में नहीं किया हुआ है तथा उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न पत्रावली मोका रिपोर्ट दिनांक 27.01. 2021 में पटवारी हल्का ने अवगत कराया है कि उक्त वाद आराजीयात पर आवादी बसी हुई है। मैं यह भी उल्लेखित करना चाहुँगा कि यदि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का

(मोहर: जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–गंगापुर सिटी (राज0) — सत्यमेव जयते)

(हस्ताक्षर) 20/9/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

अहितकार्य या शर्त भंग की गई हो तो प्रार्थी नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अर्न्तगत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट यह अंकित नहीं किया गया है कि उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में किस–किस व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटि पूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी को आवंटन संबंधित दस्तावेजों व पूर्ण रिपोर्ट के साथ पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)